ISSN: 2395-7852

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management

Volume 10, Issue 4, July 2023

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 6.551

+91 9940572462 +91 9940572462 ijarasem@gmail.com www.ijarasem.com

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 4, July 2023 |

| DOI:10.15680/IJARASEM.2023.1004051 |

असहयोग आन्दोलन

Vijay Singh

(M.A., NET-JRF), Department of History and Indian Culture, University of Rajasthan, Jaipur, Rajasthan, India

सार

असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के देखरेख में चलाया जाने वाला प्रथम जन आंदोलन था। इस आंदोलन का व्यापक जन आधार था। शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्ग तथा ग्रामीण क्षेत्र में किसानो और आदीवासियों का इसे व्यापक समर्थन मिला। इसमें श्रमिक वर्ग की भी भागीदारी थी। इस प्रकार यह प्रथम जन आंदोलन बन गया। 1914-1918 के प्रथम विश्वयुद्ध के दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था और बिना जाॅच के कारावास की अनुमति दे दी थी। अब सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति की संस्तुतियों के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया। इसके जवाब में महात्मा गांधी जी ने देशभर में इस अधिनियम (*रॉलेट एक्ट*) के खिलाफ़ एक अभियान चलाया। उत्तरी और पश्चिमी भारत के कस्बों में चारों तरफ़ आंदोलन के समर्थन में दुकानों और स्कूलों के बंद होने के कारण जीवन लगभग ठहर सा गया था। पंजाब में, विशेष रूप से कड़ा विरोध हुआ, जहाँ के बहुत से लोगों ने युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में सेवा की थी और अब अपनी सेवा के बदले वे ईनाम की अपेक्षा कर रहे थे। लेकिन इसकी जगह उन्हें रॉलेट एक्ट दिया गया। पंजाब जाते समय गाँधी जी को कैद कर लिया गया। स्थानीय कांग्रेसजनों को गिरफ़्तार कर लिया गया था। प्रांत की यह स्थिति धीरे-धीरे और तनावपूर्ण हो गई तथा 13, अप्रैल 1919 में अमृतसर में यह खूनखराबे के चरमोत्कर्ष पर ही पहुँच गई जब एक अंग्रेज ब्रिगेडियर(रेजिनाल्ड डायर) ने एक राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलाने का हुक्म दिया। जालियाँवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाने गए इस हत्याकांड में लगभग 1,200 लोग मारे गए और 1600-1700 घायल हुए थे।

परिचय

असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में औपचारिक रूप से शुरू हुआ था और बाद में आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ जिसके बाद कांग्रेस ने इसे अपना औपचारिक आंदोलन स्वीकृत कर लिया।[1] जो लोग भारत से उपनिवेशवाद को समाप्त करना चाहते थे उनसे आग्रह किया गया कि वे स्कूलो, कॉलेजो और न्यायालय न जाएँ तथा इसमेंं नितिन सिन्हा भी शामिल थे। अंग्रेजों का कर न चुकाएँ। संक्षेप में सभी को अंग्रेजी सरकार के साथ, सभी ऐच्छिक संबंधो के परित्याग करने को कहा गया। गाँधी जी ने कहा कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत एक वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्त कर लेगा। अपने संघर्ष का और विस्तार करते हुए उन्होंने खिलाफत आन्दोलन के साथ हाथ मिला लिए जो हाल ही में तुर्की शासक कमाल अतातुर्क द्वारा समाप्त किए गए सर्व-इस्लामवाद के प्रतीक खलीफ़ा की पुनर्स्थापना की माँग कर रहा था।[2]

आंदोलन की तैयारी

गाँधी जी ने यह आशा की थी कि असहयोग को खिलाफ़त के साथ मिलाने से भारत के दो प्रमुख समुदाय- हिन्दू और मुसलमान मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। इन आंदोलनों ने निश्चय ही एक लोकप्रिय कार्यवाही के बहाव को उन्मुक्त कर दिया था और ये चीजें औपनिवेशिक भारत में बिलकुल ही अभूतपूर्व थीं। विद्यार्थियों ने अंग्रेजी सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया। कई कस्बों और नगरों में श्रमिक-वर्ग हड़ताल पर चला गया। सरकारी आँकड़ों के मुताबिक 1921 में 396 हड़तालें हुई जिनमें 6 लाख श्रमिक शामिल थे और इससे 70 लाख का नुकसान हुआ था। ग्रामीण क्षेत्र भी असंतोष से आंदोलित हो रहा था। पहाड़ी जनजातियों ने वन्य कानूनों की अवहेलना कर दी। अवधि के किसानों ने कर नहीं चुकाए। कुमाउँ के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारियों का सामान ढोने से मना कर दिया। इन विरोधी आंदोलनों को कभी-कभी स्थानीय राष्ट्रवादी नेतृत्व की अवज्ञा करते हुए कार्यान्वित किया गया। किसानों, श्रमिकों और अन्य ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की तथा औपनिवेशिक शासन के साथ 'असहयोग' के लिए उन्होंने ऊपर से प्राप्त निर्देशों पर टिके रहने के बजाय अपने हितों से मेल खाते तरीकों का इस्तेमाल कर कार्यवाही की।

महात्मा गाँधी के अमरीकी जीवनी-लेखक लुई फ़िशर ने लिखा है कि 'असहयोग भारत और गाँधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम हो गया। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किन्तु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग और स्व-अनुशासन आवश्यक थे। यह स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण था।' 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति के बाद पहली बार असहयोग आन्दोलन से अंग्रेजी राज की नींव हिल गई।

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 4, July 2023 |

| DOI:10.15680/IJARASEM.2023.1004051 |

चौरी-चौरा काण्ड

फ़रवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में एक पुलिस थाने पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी। इस अग्निकांड में कई पुलिस वालों की जान चली गई। हिंसा की इस कार्यवाही से गाँधी जी को यह आन्दोलन तत्काल वापस लेना पड़ा। उन्होंने जोर दिया कि, 'किसी भी तरह की उत्तेजना को निहत्थे और एक तरह से भीड़ की दया पर निर्भर व्यक्तियों की घृणित हत्या के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता है'।

गाँधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जाँच की कार्यवाही की अध्यक्षता करने वाले जज जस्टिस सी. एन. ब्रूमफ़ील्ड ने उन्हें सजा सुनाते समय एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। जज ने टिप्पणी की कि, इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि मैने आज तक जिनकी जाँच की है अथवा करूँगा आप उनसे भिन्न श्रेणी के हैं। इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि आपके लाखों देशवासियों की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त और नेता हैं। यहाँ तक कि राजनीति में जो लोग आपसे भिन्न मत रखते हैं वे भी आपको उच्च आदर्शों और पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। चूँकि गाँधी जी ने कानून की अवहेलना की थी अत: उस न्याय पीठ के लिए गाँधी जी को 6 वर्षों की जेल की सजा सुनाया जाना आवश्यक था। लेकिन जज ब्रूमफ़ील्ड ने कहा कि 'यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी और आपको मुक्त करना संभव हुआ तो इससे मुझसे ज्यादा कोई प्रसन्न नहीं होगा।

प्रिन्स ऑफ़ वेल्स का बहिष्कार

अप्रैल, 1921 में प्रिन्स ऑफ़ वेल्स के भारत आगमन पर उनका सर्वत्र काला झण्डा दिखाकर स्वागत किया गया। गांधी जी ने अली बन्धुओं की रिहाई न किये जाने के कारण प्रिन्स ऑफ़ वेल्स के भारत आगमन का बहिष्कार किया। 17 नवम्बर 1921 को जब प्रिन्स ऑफ़ वेल्स का बम्बई, वर्तमान मुम्बई आगमन हुआ, तो उनका स्वागत राष्ट्रव्यापी हड़ताल से हुआ। इसी बीच दिसम्बर, 1921 में अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। यहाँ पर असहयोग आन्दोलन को तेज़ करने एवं सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाने की योजना बनी।[3]

आन्दोलन समाप्ति का निर्णय

इसी बीच 5 फ़रवरी 1922 को गोरखपुर ज़िले के चौरी- चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना चाहा, इसके फलस्वरूप जनता ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से गांधी जी स्तब्ध रह गए। 12 फ़रवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आन्दोलन को समाप्त करने के निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इण्डिया में लिखा था कि, "आन्दोलन को हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यातनापूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक की मौत भी सहने को तैयार हूँ।" अब गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों पर ज़ोर दिया।

नेताओं के विचार

असहयोग आन्दोलन के स्थगन पर Nehru

ने कहा कि, "यदि कन्याकुमारी के एक गाँव ने अहिंसा का पालन नहीं किया, तो इसकी सज़ा हिमालय के एक गाँव को क्यों मिलनी चाहिए।" अपनी प्रतिक्रिया में सुभाषचन्द्र बोस ने कहा, "ठीक इस समय, जबकि जनता का उत्साह चरमोत्कर्ष पर था, वापस लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं"। आन्दोलन के स्थगित करने का प्रभाव गांधी जी की लोकप्रियता पर पड़ा। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ़्तार किया गया तथा न्यायाधीश ब्रूम फ़ील्ड ने गांधी जी को असंतोष भड़काने के अपराध में 6 वर्ष की कैद की सज़ा सुनाई। स्वास्थ्य सम्बन्धी कारणों से उन्हें 5 फ़रवरी 1924 को रिहा कर दिया गया।[2]

विचार-विमर्श

भारत के इतिहास में अमर चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922[1] को ब्रिटिश भारत में संयुक्त राज्य के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा में हुआ था , जब असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। जवाबी कार्रवाई में प्रदर्शनकारियों ने हमला किया और एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिससे उनके सभी कर्मचारी मारे गए। इस घटना के कारण तीन नागरिकों और 22 पुलिसकर्मियों की मृत्यु हुई थी। महात्मा गांधी, जो हिंसा के घोर विरोधी थे, ने इस घटना के प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में 12 फरवरी 1922 को राष्ट्रीय स्तर पर असहयोग आंदोलन को रोक दिया था।[2] घटना से दो दिन पहले, 2 फरवरी 1922 को, भगवान अहीर नामक ब्रिटिश भारतीय सेना के एक सेवानिवृत्त सैनिक के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले स्वयंसेवकों ने गौरी बाज़ार में उच्च खाद्य कीमतों और शराब की बिक्री का विरोध किया । प्रदर्शनकारियों को स्थानीय दारोगा (इंस्पेक्टर) गुप्तेश्वर सिंह और अन्य पुलिस अधिकारियों ने पीटा। कई नेताओं को गिरफ्तार कर चौरी-चौरा थाने के हवालात में डाल दिया गया। इसके जवाब में 4 फरवरी को बाजार में पुलिस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया।[3]

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 4, July 2023 |

| DOI:10.15680/IJARASEM.2023.1004051 |

8 फरवरी को, लगभग 2,000 से 2,500 प्रदर्शनकारी इकट्ठे हुए और चौरी चौरा के बाजार लेन की ओर मार्च करना शुरू किया। वे गौरी बाजार शराब की दुकान पर धरना देने के लिए एकत्र हुए थे । स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सशस्त्र पुलिस भेजी गई, जबकि प्रदर्शनकारियों ने ब्रिटिश विरोधी नारे लगाते हुए बाजार की ओर मार्च किया। भीड़ को डराने और तितर-बितर करने के प्रयास में, गुप्तेश्वर सिंह ने अपने 15 स्थानीय पुलिस अधिकारियों को चेतावनी देने के लिए हवा में गोलियां चलाने का आदेश दिया। इससे भीड़ भड़क गई और पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। [4]

स्थिति नियंत्रण से बाहर होने पर, सब-इंस्पेक्टर पृथ्वी पाल ने पुलिस को आगे बढ़ रही भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें तीन लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। पुलिस के पीछे हटने के कारणों पर रिपोर्ट अलग-अलग हैं, कुछ ने सुझाव दिया कि कांस्टेबल गोला-बारूद से बाहर भाग गए, जबकि अन्य ने दावा किया कि भीड़ की गोलियों की अप्रत्याशित प्रतिक्रिया का कारण था। आगामी अराजकता में, भारी संख्या में पुलिस वापस पुलिस चौकी की शरण में आ गई , जबकि गुस्साई भीड़ आगे बढ़ गई। उनके रैंकों में गोलियों से प्रभावित भीड़ ने चौकी में आग लगा दी, जिससे इंस्पेक्टर गुप्तेश्वर सिंह सहित अंदर फंसे सभी पुलिसकर्मियों की मौत हो गई।

इस घटना के तुरन्त बाद गांधीजी ने असहयोग आन्दोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। बहुत से लोगों को गांधीजी का यह निर्णय उचित नहीं लगा। विशेषकर क्रांतिकारियों ने इसका प्रत्यक्ष या परोक्ष विरोध किया। [2] 1922 की गया कांग्रेस में प्रेमकृष्ण खन्ना व उनके साथियों ने रामप्रसाद बिस्मिल के साथ कन्धे से कन्धा भिड़ाकर गांधीजी का विरोध किया।

चौरी-चौरा कांड के अभियुक्तों का मुकदमा पंडित मदन मोहन मालवीय ने लड़ा और अधिकांश को बचा ले जाना उनकी एक बड़ी सफलता थी।[5] इनमें से 151 लोग फांसी की सजा से बच गये। बाकी 19 लोगों को 2 से 11 जुलाई, 1923 के दौरान फांसी दे दी गई। इस घटना में 14 लोगों को आजीवन कैद और 19 लोगों को आठ वर्ष सश्रम कारावास की सजा हुई।[1]

परिणाम

स्वराज पार्टी पराधीन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बना एक राजनैतिक दल था। इस दल की स्थापना 1 जनवरी, 1923 को देशबन्धु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरु ने की थी। यह दल भारतीयों के लिये अधिक स्व-शासन तथा राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिये कार्य कर रहा था। भारतीय भाषाओं में स्वराज का अर्थ है "अपना राज्य"।इस पैक्ट के तहत गांधी को "आल इण्डियन स्पिनर्स एसोशिएशन" की जिम्मेदारी दी गई।[2]

जब ५ फरवरी सन् १९२२ को चौरी चौरा काण्ड हुआ और गांधीजी ने असहयोग आन्दोलन वापस ले लिया तो कुछ नेता गांधीजी के इस कदम से बहुत अप्रसन्न हुए। इन नेताओं का विचार था कि असहयोग आन्दोलन को वापस नहीं लिया जाना चाहिये था क्योंकि इस आन्दोलन को आश्चर्यचकित करने वाली सफलता मिल रही थी और कुछ दिनों में यह आन्दोलन अंग्रेजी राज की कमर तोड़ देता। इसके बाद दिसम्बर १९२२ में चित्तरंजन दास की अध्यक्षता में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ जिसमें विधान परिषद में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हो गया। चित्तरंजन दास इस प्रस्ताव के विरोधी थे। उन्होने त्याग पत्र दे दिया।

जनवरी 1923 ई. में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास, नरसिंह चिंतामन केलकर और मोतीलाल नेहरू बिट्ठलभाई पटेल ने 'कांग्रेस-खिलाफत स्वराज्य पार्टी' नाम के दल की स्थापना की जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास बनाये गये और मोतीलाल उसके सचिव बनाये गये।[3]

इस दल का प्रथम अधिवेशन मार्च १९२३ में इलाहबाद में हुआ, जिसमें इसका संविधान और कार्यक्रम निर्धारित हुआ। अपने उदेश्यों की प्राप्ति के लिए स्वराज दल ने निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किये-

- परिषद् में जाकर सरकारी आय-व्यय के ब्यौरे को रद्द करना,
- सरकार के उन प्रस्तावों का विरोध करना जिनके द्वारा नौकरशाही को शक्तिशाली बनाने का प्रयत्न हो,
- राष्ट्र की शक्ति में वृद्धि लाने वाले प्रस्तावों, योजनाओं और विधेयकों को परिषद् में प्रस्तुत करना,
- केन्द्रीय और प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं के सभी निर्वाचित स्थानों को घेरने के लिए प्रयत्न करते रहना जिससे कि स्वराज दल की नीति को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके,
- परिषद् के बाहर महात्मा गांधी द्वारा निर्धारित रचनात्मक कार्यक्रम को सहयोग प्रदान करना,

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 4, July 2023 |

| DOI:10.15680/IJARASEM.2023.1004051 |

- हमेशा सत्याग्रह के लिए तैयार रहना और यदि आवश्यक हो तो पदों का त्याग भी कर देना।[5]

इसके पहले के घटनाक्र में, असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ होने से पूर्व कांग्रेस ने विधान परिषदों के चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। असहयोग आन्दोलन की समाप्ति के बाद कांग्रेस के सामने फिर से यह प्रश्न खड़ा हो गया कि 1919 के एक्ट द्वारा घोषित विधान परिषद के चुनाव में भाग लिया जाए अथवा नहीं। चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेने के पक्ष में थे, वे इन सभाओं में प्रवेश कर असहयोग करने की बात करते थे। ये लोग 'परिवर्तनवादी' कहलाए। दूसरी ओर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राजगोपालाचारी, वल्लभभाई पटेल, डॉक्टर अंसारी, एन जी रंगा आयंगर, चक्रवर्ती आदि नेता परिषद के चुनाव का बहिष्कार करना चाहते थे और उन्होने परिषदों में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। ये लोग 'अपरिवर्तनवादी' कहलाये।

दिसम्बर 1922 में चितरंजन दास की अध्यक्षता में गया में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में परिषद में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ जिसके कारण चितरंजन दास ने त्याग पत्र दे दिया। इसके बाद विधान परिषद में जाने के प्रस्ताव के समर्थकों ने 1 जनवरी 1923 में इलाहाबाद में अपने समर्थकों का अखिल भारतीय सम्मेलन बुलाया और एक नई राजनीतिक पार्टी 'स्वराज्य पार्टी' की स्थापना की। इसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास और महासचिव मोतीलाल नेहरु थे। यह पार्टी 'कांग्रेस खिलाफ स्वराज्य पार्टी' कहलाई। स्वराज दल विधान परिषदों में भाग लेने में विश्वास करता था। इनका लक्ष्य व्यवस्थापिका सभाओं में प्रवेश करके सरकार की गलत नीतियों की आलोचना करना, उसके दोषों को उजागर करना था। उनकी योजना यह थी की विधान परिषद के कार्य में आंतरिक रुप से रुकावट डाली जाए।

परिवर्तनवादियों और स्वराजवादियों में बढ़ती हुई कटुता को दूर करने के लिए सितंबर 1923 में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में दिल्ली में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया गया। इस अधिवेशन में स्वराज पार्टी को परिषदों का चुनाव लड़ने की अनुमति कांग्रेस ने दे दी। स्वराज पार्टी ने तय किया गया कि नई पार्टी कांग्रेस के अंदर ही चुनाव लड़ेगी।

नवम्बर 1923 के चुनाव में स्वराज्य दल को केंद्रीय और प्रांतीय परिषदों के चुनाव में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। उन्हें मध्य प्रांत और बंगाल में पूर्ण बहुमत मिल गया। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की 101 निर्वाचित सीटों में से 42 सीटों पर इनकी जीत हुई। बंगाल में यह सबसे बड़े दल के रूप में उभरे और मुंबई और उत्तर प्रदेश में भी इन्हें अच्छी सफलता मिली। मद्रास और पंजाब में जातिवाद और सांप्रदायिकता की लहर के कारण इन्हें कुछ खास सफलता प्राप्त नहीं हुई।

गांधी जी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उन्हें ६ वर्ष की सजा पूर्ण करने से पूर्व ही फरवरी 1924 में जेल से छोड़ दिया गया। महात्मा गांधी जी ने स्वराज जल के राजनीतिक कार्यक्रम का समर्थन किया और स्वराज वादियो ने उनके रचनात्मक कार्यों का। १९२५ में चित्तरंजन दास की असामयिक मृत्यु होने से स्वराज पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा। इसके बाद पार्टी मृतप्राय हो गयी।[7]

पतन के प्रमुख कारण

देशबंधु चितरंजन दास की मृत्यु- 1925 ई. में चित्तरंजन दास की मृत्यु स्वराज दल के लिए बहुत बड़ा धक्का थी। इसके कारण स्वराज दल का संगठन कमजोर पड़ गया, विशेषकर बंगाल में इस दल की स्थिति अत्यन्त शिथिल पड़ गयी।

सहयोग की नीति- आरम्भ में स्वराजवादियों ने असहयोग की नीति अपनाई थी और सरकार के कार्यों में विघ्न डालना ही उनका प्रमुख उद्देश्य बन गया था। परन्तु उन्हें बाद में लगने लगा कि असहयोग की नीति अपनाने से देश को लाभ के बदले हानि ही हो रही है। इसलिए उन्होंने सहयोग की नीति अपना ली। परिणामस्वरूप जनता में उनकी लोकप्रियता घटने लगी।

स्वराज दल में मतभेद- पंडित मोतीलाल नेहरु सरकार से असहयोग करनेवालों का नेतृत्व कर रहे थे। दूसरी ओर बम्बई के स्वराज दल के नेता सहयोग के पक्ष में आ गए थे। इस प्रकार स्वराज दल में मतभेद उभर आया।

1926 के निर्वाचन में प्रत्याशित सफलता न मिलना- 1926 ई. के निर्वाचन में स्वराजवादियों को वह सफलता प्राप्त नहीं हो सकी जो उन्होंने 1923 ई. के निर्वाचन में मिली थी. इससे पार्टी को बहुत बड़ा धक्का लगा।

हिन्दूवादी दल की स्थापना- पं. मदनमोहन मालवीय और लाला लाजपत राय की धारणा यह थी कि स्वराजवादियों की अड़ंगा नीति से हिन्दुओं को हानि होगी और मुसलमानों को लाभ। यह सोचकर उन्होंने कांग्रेस से हटकर एक नया दल बनाया। उनके इस निर्णय से कांग्रेस के साथ-साथ स्वराज दल को बड़ा झटका लगा।

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 4, July 2023 |

| DOI:10.15680/IJARASEM.2023.1004051 |

कार्य एवं उपलब्धियाँ

स्वराज दल की प्रमुख सफलताएं निम्नलिखित थीं-

- ये बजट को प्रत्येक वर्ष अस्वीकृत कर देते थे, परिणामस्वरुप वायसराय को अपने विशेषाधिकार द्वारा इसे पारित करना पड़ता था। इस तरह उन्होंने नए विधान मंडलों का असली चरित्र उजागर किया।
- स्वराजवादियो ने उत्तरदायी शासन की स्थापना करने के लिए गोलमेज सम्मेलन बुलाने का सुझाव दिया।
- इनकी मांगों के परिणामस्वरुप 1924 में सरकार ने 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए मुंडी मैन कमेटी की नियुक्ति की।
- 1925 में विट्ठल भाई पटेल को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष बनाने में सफलता मिली।
- 1925 में मोतीलाल नेहरू ने स्क्रीन कमेटी की सदस्यता स्वीकार की जो सेना के तीव्र भारतीयकरण के लिए नियुक्त की गई थी।
- 1922 से 1928 तक कांग्रेस लगभग शान्त रही, इसीलिए माहौल गर्म बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वराज पार्टी की रही। उन्होंने परिषदों में ब्रिटिश सरकार की भारत-विरोधी नीतियों पर लगभग रोक लगा दी थी।[8]

धीरे-धीरे स्वराजवादियों ने परिषद में सरकार को असहयोग की नीति छोड़कर सहयोग की नीति अपना ली। 1925 में चितरंजन दास की मृत्यु से स्वराज दल को बड़ा धक्का लगा। 1926 में कांग्रेस ने स्वराजवादियों को परिषद से बाहर आने का आदेश दिया क्योंकि सरकार उनके साथ सहयोग नहीं कर रही थी। 1926 के चुनाव में स्वराज पार्टी को आशा के अनुरूप सफलता नहीं मिली। केंद्र में से 40 सीटों पर और मद्रास में आधी सीटों पर सफलता मिली, लेकिन बाकी प्रांतों विशेषकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में इसे भारी हार का सामना करना पड़ा। मुस्लिम ताकतों का विधान मंडलों में प्रतिनिधित्व बढ़ गया। स्वराजी इस बार विधानमंडलों में भी राष्ट्रीय मोर्चा बनाने में असफल रहे। लेकिन इस बार भी कई मौकों पर स्थगन प्रस्ताव लाने में कामयाब हो गए।

स्वराज पार्टी के कार्य का प्रमुख उदाहरण है कि जब 1928 में सरकार द्वारा सार्वजनिक सुरक्षा बिल लाया गया, जिसके तहत किसी भी स्वाधीनता संग्राम समर्थक गैर-भारतीयों को वह देश में निकाल सकती थी, तब स्वराज पार्टी ने इसका विरोध किया और बिल पारित नहीं हो सका। जब बिल पुनः पेश करने की कोशिश की गई तो परिषद के अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल ने उसे पेश करने की अनुमति तक नहीं दी। उन्होंने इस विधेयक को 'भारतीय गुलामी विधेयक नंबर एक' की संज्ञा दी।[9]

लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पारित प्रस्ताव और सविनय अवज्ञा आंदोलन छिड़ने के कारण 1930 में स्वराज पार्टी ने विधानमंडल का दामन छोड़ दिया।

गांधी-दास समझौता

खराब स्वास्थ्य के कारण गांधीजी को फरवरी 1924 में जेल से रिहा कर दिया गया था। नवम्बर 1924 में गांधीजी, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने एक संयुक्त वक्तव्य दिया जो गांधी दास पेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसमें कहा गया कि असहयोग अब राष्ट्रीय कार्यक्रम नहीं रहेगा। स्वराज पार्टी को अधिकार दिया गया कि वह कांग्रेस के नाम और कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में विधानसभाओं के अंदर कार्य करे।

खिलाफत आन्दोलन[1] (मार्च 1919-जनवरी 1921) मार्च 1919 में बम्बई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया था। मोहम्मद अली और शौकत अली बन्धुओ के साथ-साथ अनेक मुस्लिम नेताओं ने इस मुद्दे पर संयुक्त जनकार्यवाही की सम्भावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी। सितम्बर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी भाग लिया। यह आंदोलन सन् 1919 में लखनऊ से शुरू हुआ था।.[2]जिससे शायद भारत कभी उबर नहीं सका। खिलाफत का उद्देश्य तुर्की में खलीफा पद की पुन: स्थापना को समर्थन देना था। ऐसे में मोहनदास करमचंद गाँधी को लगा कि खिलाफत को समर्थन देना, मुस्लिमों को उनके साथ असहयोग आंदोलन में जोड़ देगा। उन्हें ये भी लगा कि अगर खलीफा के समर्थन में मुस्लिमों का साथ दिया गया तो वो बड़ी भारी तादाद में राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल होंगे।

हालाँकि, इसके बाद मोपला मुसलमानों की कट्टरता थी जिसने 10,000 हिंदुओं के नरसंहार, सैंकड़ों हिंदू महिलाओं के बलात्कार और हिंदू मंदिरों के विध्वंस को अंजाम दिया। मालाबार नरसंहार के दौरान मोपला मुस्लिम अंधाधुंध हिंदुओं को मार रहे थे वो भी बेहद बर्बर ढंग से। एक वाकया है जिसके अनुसार 25 सितंबर 1921 को 38 हिंदुओं का बेरहमी से सिर कलम किया गया था और

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 4, July 2023 |

| DOI:10.15680/IJARASEM.2023.1004051 |

उनकी खोपड़ी कुएँ में फेंक दी गई थी। ये बात दस्तावेजों में भी दर्ज है कि जब मालाबार के तत्कालीन जिलाधिकारी इलाके में गए तो कई हिंदू कुएँ से मदद के लिए गुहार लगा रहे थे।[10]

मालाबार अकेला ऐसा नरसंहार नहीं था जब हिंदुओं को मौत के घाट उतारा गया। तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर दीवान बहादुर सी गोपालन नायर ने अपनी पुस्तक में सांप्रदायिक संघर्ष की 50 से अधिक ऐसी घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया है, जब मालाबार के मुसलमानों ने हिंदुओं पर अत्याचार किए थे। ऐसे इतिहास के बावजूद, उस समय कम से कम कहने के लिए तो भारतीय नेतृत्व की प्रतिक्रिया शर्मनाक थी। मोहनदास करमचंद गाँधी ने मालाबार मुसलमानों के खिलाफत आंदोलन को इस उम्मीद में निर्विवाद समर्थन दिया था कि यह मुसलमानों को 'राष्ट्रवादियों' में बदल देगा, जिसके परिणामस्वरूप वे हिंदुओं के साथ ब्रिटिश साम्राज्य से लड़ेंगे।

सन् 1908 ई. में तुर्की में युवा तुर्क दल द्वारा शक्तिहीन ख़लीफ़ा के प्रभुत्व का उन्मूलन ख़लीफ़त (ख़लीफ़ा के पद) की समाप्ति का प्रथम चरण था। इसका भारतीय मुसलमान जनता पर नगण्य प्रभाव पड़ा। किन्तु, 1922 में तुर्की-इतालवी तथा बाल्कन युद्धों में, तुर्की के विपक्ष में, ब्रिटेन के योगदान को इस्लामी संस्कृति तथा सर्व इस्लामवाद पर प्रहार समझकर भारतीय मुसलमान ब्रिटेन के प्रति उत्तेजित हो उठे। यह विरोध भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध रोषरूप में परिवर्तित हो गया। इस उत्तेजना को अबुलकलाम आज़ाद, ज़फ़र अली ख़ाँ तथा मोहम्मद अली ने अपने समाचारपत्रों अल-हिलाल, जमींदार तथा कामरेड और हमदर्द द्वारा बड़ा व्यापक रूप दिया।

प्रथम महायुद्ध में तुर्की पर ब्रिटेन के आक्रमण ने असन्तोष को प्रज्वलित किया। सरकार की दमननीति ने इसे और भी उत्तेजित किया। राष्ट्रीय भावना तथा मुस्लिम धार्मिक असन्तोष का समन्वय आरम्भ हुआ। महायुद्ध की समाप्ति के बाद राजनीतिक स्वत्वों के बदले भारत को रौलट बिल, दमनचक्र, तथा जलियानवाला बाग हत्याकांड मिले, जिसने राष्ट्रीय भावना में आग में घी का काम किया। अखिल भारतीय ख़िलाफ़त कमेटी ने जमियतउल्-उलेमा के सहयोग से ख़िलाफ़त आन्दोलन का संगठन किया तथा मोहम्मद अली ने 1920 में ख़िलाफ़त घोषणापत्र प्रसारित किया। राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व गांधी जी ने ग्रहण किया। गांधी जी के प्रभाव से ख़िलाफ़त आन्दोलन तथा असहयोग आंदोलन एकरूप हो गए। मई, 1920 तक ख़िलाफ़त कमेटी ने महात्मा गांधी की अहिंसात्मक असहयोग योजना का समर्थन किया। सितम्बर में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन ने असहयोग आन्दोलन के दो ध्येय घोषित किए - स्वराज्य तथा ख़िलाफ़त की माँगों की स्वीकृति। जब नवम्बर, 1922 में तुर्की में मुस्तफ़ा कमालपाशा ने सुल्तान ख़लीफ़ा महमद षष्ठ को पदच्युत कर अब्दुल मजीद आफ़न्दी को पदासीन किया और उसके समस्त राजनीतिक अधिकार अपहृत कर लिए तब ख़िलाफ़त कमेटी ने 1924 में विरोधप्रदर्शन के लिए एक प्रतिनिधिमण्डल तुर्की भेजा। राष्ट्रीयतावादी मुस्तफ़ा कमाल ने उसकी सर्वथा उपेक्षा की और 3 मार्च 1924 को उन्होंने ख़लीफ़ी का पद समाप्त कर ख़िलाफ़त का अन्त कर दिया। इस प्रकार, भारत का खिलाफ़त आन्दोलन भी अपने आप समाप्त हो गया।[11]

गांधी ने 1920-21 में खिलाफ़त आन्दोलन क्यों चलाया, इसके दो दृष्टिकोण हैं:-

- एक वर्ग का कहना था कि गांधी की उपरोक्त रणनीति व्यवहारिक अवसरवादी गठबन्धन का उदाहरण था। वे समझ चुके थे कि अब भारत में शासन करना अंग्रेजों के लिए आर्थिक रूप से महंगा पड़ रहा है। अब उन्हें हमारे कच्चे माल की उतनी आवश्यकता नहीं है। अब सिन्थेटिक उत्पादन बनाने लगे हैं। अंग्रेजों को भारत से जो लेना था वे ले चुके हैं। अब वे जायेंगे। अत: अगर शान्ति पूर्वक असहयोग आन्दोलन चलाया जाए, सत्याग्रह आन्दोलन चलाया जाए तो वे जल्दी चले जाएँगे। इसके लिए हिन्दू-मुस्लिम एकता आवश्यक है। दूसरी ओर अंग्रेजों ने इस राजनीतिक गठबन्धन को तोड़ने की चाल चली।[12]
- एक दूसरा दृष्टिकोण भी है। वह मानता है कि गांधी ने इस्लाम के पारम्परिक स्वरूप को पहचाना था। पन्थ के ऊपरी आवरण को दरकिनार करके उन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एकता के स्वभाविक आधार को देख लिया था। 12वीं शताब्दी से साथ रहते रहते हिन्दु-मुसलमान सह-अस्तित्व सीख चुके थे। दबंग लोग दोनों समुदायों में थे। लेकिन फिर भी आम हिन्द-मुसलमान पारम्परिक जीवन दर्शन मानते थे, उनके बीच एक साझी विराजत भी थी। उनके बीच आपसी झगड़ा था लेकिन सभ्यतामूलक एकता भी थी। दूसरी ओर आधुनिक पश्चिम से सभ्यतामूलक संघर्ष है। गांधी यह भी जानते थे कि जो इस सभ्यता में समझ-बूझकर भागीदारी नहीं करेगा वह आधुनिक दृष्टि से भले ही पिछड़ जाएगा लेकिन पारम्परिक दृष्टि से स्थितप्रज्ञ कहलायेगा।

निष्कर्ष

दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह, महात्मा गांधी के नेतृत्व में औपनिवेशिक भारत में अहिंसक सविनय अवज्ञा का एक कार्य था। चौबीस दिवसीय मार्च 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ कर प्रतिरोध और अहिंसक विरोध के प्रत्यक्ष कार्रवाई अभियान के रूप में चला। इस मार्च का एक अन्य कारण यह था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को एक मजबूत उद्घाटन की आवश्यकता थी जो अधिक लोगों को गांधी के उदाहरण का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करे। गांधी ने इस मार्च की

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 4, July 2023 |

| DOI:10.15680/IJARASEM.2023.1004051 |

शुरुआत अपने 78 भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ की थी।[1] मार्च 240 मील (390 किमी), साबरमती आश्रम से दांडी तक फैला, जिसे उस समय (अब गुजरात राज्य में) नवसारी कहा जाता था।[2]रास्ते में भारतीयों की बढ़ती संख्या उनके साथ जुड़ गई। जब गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को सुबह 8:30 बजे ब्रिटिश राज नमक कानूनों को तोड़ा, तो इसने लाखों भारतीयों द्वारा नमक कानूनों के खिलाफ बड़े पैमाने पर सविनय अवज्ञा के कृत्यों को जन्म दिया।[3]

दांडी में वाष्पीकरण द्वारा नमक बनाने के बाद, गांधी तट के साथ दक्षिण की ओर बढ़ते रहे, नमक बनाते रहे और रास्ते में सभाओं को संबोधित करते रहे। कांग्रेस पार्टी ने दांडी से 130,000 फीट (40 कि°मी°) दक्षिण में धरसाना साल्ट वर्क्स में सत्याग्रह करने की योजना बनाई। हालाँकि, गांधी को धरसाना में नियोजित कार्रवाई से कुछ दिन पहले 4-5 मई 1930 की मध्यरात्रि को गिरफ्तार कर लिया गया था। दांडी मार्च और आगामी धरसाना सत्याग्रह ने व्यापक समाचार पत्रों और न्यूज़रील कवरेज के माध्यम से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की ओर दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया। नमक कर के खिलाफ सत्याग्रह लगभग एक साल तक जारी रहा, गांधी की जेल से रिहाई और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लॉर्ड इरविन के साथ बातचीत के साथ समाप्त हुआ।[4] हालांकि नमक सत्याग्रह के परिणामस्वरूप 60,000 से अधिक भारतीयों को जेल में डाल दिया गया,[5] अंग्रेजों ने तत्काल बड़ी रियायतें नहीं दीं।[6]

नमक सत्याग्रह अभियान गांधी के अहिंसक विरोध के सिद्धांतों पर आधारित था, जिसे सत्याग्रह कहा जाता है, जिसका उन्होंने संक्षेप में "सत्य-बल" के रूप में अनुवाद किया।[7] शाब्दिक रूप से, यह संस्कृत के शब्द सत्य, "सत्य", और अग्रहा, "आग्रह" से बना है। 1930 की शुरुआत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश शासन से भारतीय संप्रभुता और स्व-शासन जीतने के लिए अपनी मुख्य रणनीति के रूप में सत्याग्रह को चुना और अभियान को व्यवस्थित करने के लिए गांधी को नियुक्त किया। गांधी ने 1882 के ब्रिटिश नमक अधिनियम को सत्याग्रह के पहले लक्ष्य के रूप में चुना। दांडी के लिए नमक मार्च, और धरसाना में सैकड़ों अहिंसक प्रदर्शनकारियों की ब्रिटिश पुलिस द्वारा पिटाई, जिसे दुनिया भर में समाचार कवरेज मिला, ने सामाजिक और राजनीतिक अन्याय से लड़ने के लिए एक तकनीक के रूप में सविनय अवज्ञा के प्रभावी उपयोग का प्रदर्शन किया।[8] 1960 के दशक में अफ्रीकी अमेरिकियों और अन्य अल्पसंख्यक समूहों के नागरिक अधिकारों के लिए नागरिक अधिकार आंदोलन के दौरान गांधी और मार्च टू दांडी की सत्याग्रह शिक्षाओं का अमेरिकी कार्यकर्ताओं मार्टिन लूथर किंग,जेम्स बेवेल और अन्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। यह मार्च 1920-22 के असहयोग आंदोलन के बाद से ब्रिटिश सत्ता के लिए सबसे महत्वपूर्ण संगठित चुनौती थी, और 26 जनवरी 1930[9] को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संप्रभुता और स्व-शासन की पूर्ण स्वराज की घोषणा का सीधे पालन किया। [10] इसने दुनिया भर में ध्यान आकर्षित किया जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को गति दी और राष्ट्रव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जो 1934 तक जारी रहा।[13]

संप्रभुता और स्वशासन की घोषणा

महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू मार्च के दौरान

31 दिसंबर 1929 की आधी रात को, कांग्रेस (भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस) ने लाहौर में रावी के तट पर भारत का तिरंगा झंडा फहराया। गांधी और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930[10] को सार्वजनिक रूप से संप्रभुता और स्व-शासन, या पूर्ण स्वराज की घोषणा जारी की। (सचमुच संस्कृत में, पूर्ण, "पूर्ण," स्व, "स्व," राज, "नियम," इसलिए "पूर्ण स्व-शासन") घोषणा में करों को वापस लेने की तत्परता और कथन शामिल था:[15]

हम मानते हैं कि किसी भी अन्य लोगों की तरह, भारतीय लोगों का यह अहरणीय अधिकार है कि वे स्वतंत्रता प्राप्त करें और अपने परिश्रम के फल का आनंद लें और जीवन की आवश्यकताएं प्राप्त करें, ताकि उन्हें विकास के पूर्ण अवसर मिल सकें। हम यह भी मानते हैं कि यदि कोई सरकार किसी व्यक्ति को इन अधिकारों से वंचित करती है और उनका दमन करती है तो लोगों को इसे बदलने या समाप्त करने का एक और अधिकार है। भारत में ब्रिटिश सरकार ने न केवल भारतीय लोगों को उनकी स्वतंत्रता से वंचित किया है, बल्कि जनता के शोषण पर आधारित है, और आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से भारत को बर्बाद कर दिया है। इसलिए, हम मानते हैं कि भारत को ब्रिटिश कनेक्शन को तोड़ देना चाहिए और 'पूर्ण स्वराज' या पूर्ण संप्रभुता और स्व-शासन प्राप्त करना चाहिए।[11]

| ISSN: 2395-7852 | www.ijarasem.com | Impact Factor: 6.551 |Bimonthly, Peer Reviewed & Referred Journal|

| Volume 10, Issue 4, July 2023 |

| DOI:10.15680/IJARASEM.2023.1004051 |

कांग्रेस कार्य समिति ने गांधी को सविनय अवज्ञा के पहले अधिनियम के आयोजन की जिम्मेदारी दी, साथ ही कांग्रेस स्वयं गांधी की गिरफ्तारी के बाद कार्यभार संभालने के लिए तैयार थी.[12] गांधी की योजना ब्रिटिश नमक कर के उद्देश्य से सत्याग्रह के साथ सविनय अवज्ञा शुरू करने की थी। 1882 के नमक अधिनियम ने अंग्रेजों को नमक के संग्रह और निर्माण पर एकाधिकार दिया, इसके संचालन को सरकारी नमक डिपो तक सीमित कर दिया और नमक कर लगा दिया।[13] नमक अधिनियम का उल्लंघन एक आपराधिक अपराध था। भले ही तट पर रहने वालों के लिए नमक स्वतंत्र रूप से उपलब्ध था (समुद्र के पानी के वाष्पीकरण द्वारा), भारतीयों को इसे औपनिवेशिक सरकार से खरीदने के लिए मजबूर किया गया था।[17]

प्रतिक्रिया दें संदर्भ

1. "चौरी चौरा कांड: वो घटना जिसके कारण गांधी ने वापस ले लिया था असहयोग आंदोलन". आज तक. अभिगमन तिथि 30 जनवरी 2022.
2. ↑ Rajshekhar Vyas. Meri Kahani Bhagat Singh: Indian Freedom Fighter. Neelkanth Prakashan. पपृ॰ 33–. GGKEY:JE4WZ574KU2.
3. ↑ Maurya, Mayank (2022-12-15). "चौरी-चौरा कांड: परिचय, घटना, इतिहास एवं परिणाम". NARAYNUM (अंग्रेज़ी में). मूल से 15 दिसंबर 2022 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2022-12-15.
4. ↑ Maurya, Mayank (2022-12-15). "चौरी-चौरा कांड: परिचय, घटना, इतिहास एवं परिणाम". NARAYNUM (अंग्रेज़ी में). मूल से 15 दिसंबर 2022 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 2022-12-15.
5. ↑ Manju 'Mann'. Mahamana Pt Madan Mohan Malviya. पपृ॰ 124–. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-93-5186-013-6.
6. ↑ "गोरखपुर में चल रही है फिल्म "1922 प्रतिकार चौरी चौरा" की शूटिंग - Oneindia Hindi". hindi.oneindia.com. 2021-10-06IST07:00:00+05:30. अभिगमन तिथि 2022-06-16. |
7. ↑ "गोरखपुर: फिल्म '1922 प्रतिकार चौरीचौरा' का हुआ मुहूर्त, इस घटना पर बन रही फिल्म". Amar Ujala. अभिगमन तिथि 2022-06-16.
8. ↑ hindi; hindi. "Pratikar Chauri Chaura 1922: Latest News, Photos and Videos on Pratikar Chauri Chaura 1922". www.abplive.com. अभिगमन तिथि 2022-06-16.
9. ↑ "अमृत महोत्सव: चौरी चौरा कांड नहीं संग्राम था, फिल्म '1922 प्रतिकार चौरी चौरा' से सामने आएगी सच्चाई". Dainik Jagran. अभिगमन तिथि 2022-06-16.
10. "ऐतिहासिक भूल के सौ साल: जब गांधीजी खिलाफत आंदोलन चला रहे थे तब तुर्क उसे खत्म करना चाह रहे थे". Dainik Jagran. अभिगमन तिथि 2022-01-25.
11. ↑ डेस्क, स्वदेश web (2020-07-13). "खिलाफत आंदोलन: प्रासंगिकता और विमर्श". www.swadeshnews.in (अंग्रेज़ी में). अभिगमन तिथि 2022-01-25.
12. ↑ However, at the same time, note must also be made that in the North Punjab and part of the NWFP, a huge number of Muslims did actively volunteer to serve in the British Indian Army in World War I
13. ↑ A. C. Niemeijer (1972). The Khilafat movement in India, 1919–1924. Nijhoff. पृ॰ 84.
14. ↑ Gail Minault, The Khilafat movement, p. 92
15. ↑ Razzaq, Rana. "Khan, Mohammad Akram". Banglapedia. Bangladesh Asiatic Society. अभिगमन तिथि 16 July 2016.
16. ↑ Clements, Frank; Adamec, Ludwig W. (2003). Conflict in Afghanistan: A Historical Encyclopedia (अंग्रेज़ी में). ABC-CLIO. आई॰ऍस॰बी॰ऍन॰ 978-1-85109-402-8.
17. ↑ Gail Minault, The Khilafat movement, p. 69

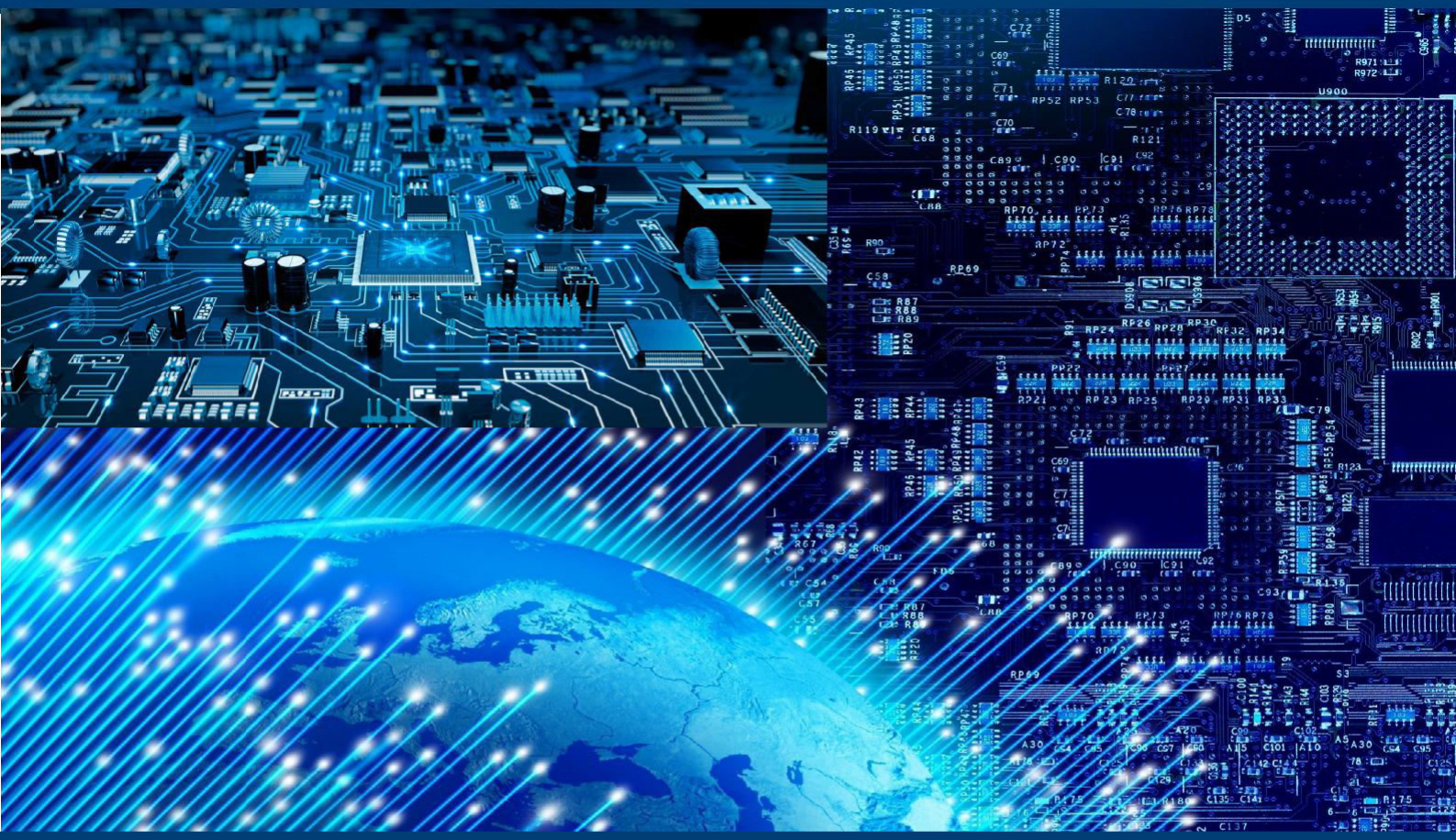

International Journal of Advanced Research in Arts, Science, Engineering & Management (IJARASEM)

| Mobile No: +91-9940572462 | Whatsapp: +91-9940572462 | ijarasem@gmail.com |